झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे.सी.ई.सी.ई.बी./57/17 – 31 ,राँची/दिनांकः 15/06/2018

पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2018 के परीक्षाफल के आधार पर प्रथम साक्षात्कार (First Round of Counselling) संबंधी विस्तृत सूचना

दिनांक 19.05.2018 को आयोजित पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2018 में सम्मिलित तथा धनात्मक (Positive) अंक धारक सभी परीक्षार्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि संबधित परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर दिनांक 22.06.2018 से प्रथम् साक्षात्कार Computerized Multi Table Parallel Counselling के माध्यम से की जायेगी। संस्थानवार/शाखावार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी पर्षद के अधिकृत वेबसाईट पर http://jceceb.jharkhand.gov.in के Homepage पर Download Column पर देखा जा सकता है। चालू साक्षात्कार के दौरान Live Seat Matrix **"Live (Current) seat Matrix of of PECE-2018"** Link पर Click कर प्राप्त कर सकते हैं। अतः सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार में भाग लेने के पूर्व उपलब्ध सीटों की अद्यतन स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें।

2. साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय, निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज मूल रूप (Original) में तथा उनकी एक–एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी और ना ही इस आधार पर सीट/संस्थान का आबंटन किया जाएगा।

(क) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र (यदि अभ्यर्थी का मूल अंक पत्र एवं उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है तो वेबसाईट पर जारी अंक पत्र की प्रति) **(ख)** पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2018 का प्रवेश–पत्र (Admit Card) {यदि प्रवेश–पत्र (Admit Card) गुम हो गया है तो सनहा (F.I.R.) की प्रति}, **(ग)** झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)}/उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, **(घ)** झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)}/उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में) {आरक्षित सीटों पर आवंटन हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)}/उपायुक्त (Deputy Commissioner) से न्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के ज्ञापांक 7/जाति–19–11/2008 का.–10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का

लाभ देय होगा।), (ङ) सैन्य कर्मचारी कोटा (एस॰एम॰क्यू॰) का लाभ लेने हेतु सक्षम सैन्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण–पत्र (सेवारत सैनिक के आश्रितों के लिए) या जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी आश्रित प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र (सेवानिवृत सैनिक के आश्रितों के लिए), (च) विकलांग अभ्यर्थियों को जिला अस्पताल के असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण–पत्र तथा शरीर के एक पूर्ण आकार का फोटोग्राफ, (छ) पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ की एक प्रति एवं (ज) आधार कार्ड।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने हेतु) सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत नहीं है या वे अपने प्रमाण–पत्र नहीं बनवा सके हैं, **लेकिन प्रमाण–पत्रों को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें भी सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान का औपबंधिक आवंटन किया जायेगा।**

नोटः– सिर्फ प्रवेश पत्र (Admit Card) गुम हो जाने की स्थिति में सनहा (F.I.R.) की प्रति मान्य होगा। अन्य किसी भी प्रमाण–पत्र के गुम होने के मामले में सनहा मान्य नहीं होगा।

3. **निःशुल्क शिक्षा योजना** के तहत आरक्षित सीटों का लाभ लेने के लिए झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) से जारी आय प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय जमा करना अनिवार्य होगा। अभातशिप (AICTE) के प्रावधानानुसार सभी श्रोतों से अभिभावक की वार्षिक आय की सीमा रू0 6 लाख किया गया है। विस्तृत जानकारी हेतु मार्गनिर्देशिका की कण्डिका 9.5 देखें। **निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत आरक्षित सीटों पर आबंटन संयुक्त मेधाक्रमानुसार निर्धारित साक्षात्कार के दिन ही मेधा–सह–ईच्छा के आधार पर किया जायेगा।** इन सीटों का जातिगत आरक्षण से कोई संबंध नहीं है।

4. *साक्षात्कार प्रक्रिया से संबंधित नियमों, निर्देशों एवं सूचनाओं हेतु मार्गनिर्देशिका की कण्डिका 21 देखें, जिसका अनुपालन साक्षात्कार के समय किया जाएगा।*

5. साक्षात्कार शुल्क :– सामान्य/पिछड़ी जाति – I/पिछड़ी जाति – II कोटि के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 400/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि एवं सभी महिला कोटि के अभ्यर्थियों को ₹ 250/– का साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीकाः–

क) यह राशि POS Machine पर Credit/Debit Card (ATM Card), Swipe कर पर्षद कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

ख) साक्षात्कार शुल्क, बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति पर्षद के वेवसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in पर Counselling कॉलम में उपलब्ध है। साक्षात्कार शुल्क, बैंक चालान के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। खाता सं0 एवं अन्य जानकारी चालान में उपलब्ध है।

6. सीट आबंटन हेतु आंशिक नामांकन शुल्क की राशि :– साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को सीट/संस्थान आवंटित कराने पर साक्षात्कार शुल्क के अलावे आंशिक नामांकन शुल्क के रूप में ₹ 1,000/– जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें सीट आवंटित नहीं किया जायेगा। यह राशि POS Machine पर Credit/Debit Card (ATM Card), Swipe कर या डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट "Controller of Examination, JCECEB" के पदनाम से देय तथा Ranchi में भुगतेय होना चाहिए।

अभ्यर्थी द्वारा संबंधित संस्थान में नामांकन लेने तथा संस्थान द्वारा नामांकन की संपुष्टि करने के उपरान्त, आंशिक नामांकन शुल्क की राशि उनके नामांकन शुल्क मद में सामंजन हेतु संस्थान को भेज दी जाएगी। **अगर अभ्यर्थी द्वारा सीट आबंटन के उपरान्त, नामांकन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक नामांकन नहीं कराया जाता है तो, यह राशि पर्षद द्वारा ग्रहित (Seize) कर ली जायेगी।**

7. आबंटित संस्थान में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन पत्र में अंकित रहेगा।

8. **साक्षात्कार स्थल** :– झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय परिसर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम–तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

9. दिनांक 22/06/2018 से दिनांक 03/07/2018 तक का साक्षात्कार, संयुक्त मेधा सूची (Common Merit List) के अनुसार आयोजित की जा रही है। अतः आरक्षित कोटि/कोटा यथा SC/ST/BC–I/BC-II/TFW/MCQ/PH/Primitive Group के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे संयुक्त मेधाक्रमानुसार निर्धारित साक्षात्कार के दिन अनारक्षित कोटि के लिए आरक्षित सीटों/संस्थानों के साथ–साथ अपने आरक्षित कोटि/कोटा के लिए आरक्षित सीटों/संस्थानों का भी चयन कर सकते हैं। अतः वे संयुक्त मेधाक्रम से आयोजित साक्षात्कार के दिन ही अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण–पत्र अवश्य लावें एवं जाँच पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

10. पोलिटेकनिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2018 के परीक्षाफल के आधार पर सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थानों में डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु मार्गनिर्देशिका की कंडिका–19 के आलोक में अभ्यर्थियों की पात्रता तथा पहचान, प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन/जाँच एवं सीट आबंटन के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम (तिथि एवं समय) मेधाक्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है। **किसी कोटि/कोटा में जिस मेधाक्रम से सीटें भर जायेंगी, उस मेधाक्रम के बाद उस कोटि/कोटा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।** विकलांग एवं एस0एम0क्यू0 कोटा का सीट सिर्फ सरकारी डिप्लोमा अभियंत्रण संस्थानों में ही उपलब्ध है।

As per CML Rank (संयुक्त मेधाक्रमानुसार)

CML Rank Range		Counselling Date & Time	CML Rank Range		Counselling Date & Time
From	To		From	To	
1	400	22.06.2018 / 10:00 AM	401	800	22.06.2018 / 01:00 PM
801	1,300	23.06.2018 / 10:00 AM	1,301	1,800	23.06.2018 / 01:00 PM
1,801	2,400	25.06.2018 / 10:00 AM	2,401	3,000	25.06.2018 / 01:00 PM
3,001	4,000	26.06.2018 / 10:00 AM	4,001	5,000	26.06.2018 / 01:00 PM
5,001	6,500	27.06.2018 / 10:00 AM	6,501	8,000	27.06.2018 / 01:00 PM
8,001	10,000	28.06.2018 / 10:00 AM	10,001	12,000	28.06.2018 / 01:00 PM
12,001	15,000	29.06.2018 / 10:00 AM	15,001	18,000	29.06.2018 / 01:00 PM
18,001	22,000	01.07.2018 / 10:00 AM	22,001	26,000	01.07.2018 / 01:00 PM
26,001	31,000	02.07.2018 / 10:00 AM	31,001	36,000	02.07.2018 / 01:00 PM
36,001	43,740	03.07.2018 / 10:00 AM			

नोट 1:– उपरोक्त सूची में सम्मिलित एस0एम0क्यू0 कोटा के अभ्यर्थियों को कोटा का सीट, एस0एम0क्यू0 कोटा हेतु निर्धारित साक्षात्कार के दिन ही, प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जायेगा। अगर वे चाहें तो संयुक्त मेधाक्रमानुसार सम्मिलित होकर उपलब्ध सीटों/संस्थानों में से मेधा–सह–ईच्छानुसार सीट आबंटन करा सकते हैं। बेहतर विकल्प हेतु एस0एम0क्यू0 कोटा के लिये आयोजित साक्षात्कार के दिन भी संस्थान/शाखा/सीट का पुर्नआबंटन करा सकते हैं।

नोट 2:– विकलांगों के लिए आरक्षित सीटों का आबंटन, संयुक्त मेधाक्रमानुसार ही किया जायेगा।

As per S.M.Q. (सैन्य कर्मचारी कोटा मेधाक्रमानुसार)

SMQ Priority	SMQ Rank Range		Counselling Date & Time
	From	To	
a (Widow/wards of Defence Personnel killed in action	1	09	03.07.2018 / 01:00 PM
b (Wards of Serving Personnel and Ex Servicemen disabled in action	1	02	03.07.2018 / 01:00 PM
c (Widow/wards of Defence Personnel who died in peace time with death attributable to Military Service	1	03	03.07.2018 / 01:00 PM
d (Wards of Ex-Servicemen and Serving Personnel who are in receipt of Gallantry Awards	1	01	03.07.2018 / 01:00 PM
f (Wards of Ex-Servicemen	1	38	03.07.2018 / 01:00 PM
g (Wards of Serving Personnel	1	37	03.07.2018 / 01:00 PM

11. साक्षात्कार संबंधी आवश्यक निर्देश एवं सूचना :–

क) प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अतः साक्षात्कार हेतु बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों को संस्थान/शाखा/सीट आबंटन की गारंटी नहीं है।

ख) साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है। आवंटित संस्थान में नामांकन के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

ग) जिन अभ्यर्थियों का मेधाक्रम इस विज्ञापन की कंडिका 11 में अंकित हैं, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि इस विज्ञप्ति के माध्यम से साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाते है कि वे इस सूचना के आधार पर ही निर्धारित तिथि एवं Counselling Time पर, साक्षात्कार में, निश्चित रूप से उपस्थित हो अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जायेगा तथा मार्गनिर्देशिका की कण्डिका 26 के अनुसार ही संस्थान/शाखा/सीट चयन का अवसर दिया जायेगा। इसके लिये पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा।

घ) अभ्यर्थी द्वारा मेधा–सह–ईच्छा के अनुसार, साक्षात्कार में संस्थान/शाखा/सीट का आबंटन करा लेने पर पुनः चालू साक्षात्कार में उन्हें दोबारा उसी कोटि/कोटा के साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

ड़) किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में **परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद** का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

च) साक्षात्कार से संबंधित जानकारी हेतु पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in और दूरभाष सं॰ 9264473893/9264473891 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/–
सुरेन्द्र कुमार, भा॰प्र॰से॰
परीक्षा नियंत्रक

ज्ञापांक : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/57/17 – 350 ,राँची/दिनांकः 15/06/2018

प्रतिलिपिः–

1. परीक्षा शाखा को पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in के Homepage पर Counselling कॉलम में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/6/18
परीक्षा नियंत्रक